

अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(ई-प्रोक्यूरमेंट सूचना)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निम्न निर्माण कार्य हेतु कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक-29 दिसम्बर, 2018 को अपराह्न 12.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निर्धारित तिथि को समयान्तर्गत प्राप्त निविदाओं को दिनांक-29 दिसम्बर, 2018 को ही 12.30 बजे तहसील कसया सभागार में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें/विस्तृत विवरण वेबसाइट [www.ksadakushinagar.in/](http://www.ksadakushinagar.in/) तथा <https://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध है। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात समस्त कार्यवाही सिर्फ ऑन-लाइन ही होगी। कार्य का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम/कार्य स्थल	कार्य की संख्या / लम्बाई	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	कसया-कुशीनगर मार्ग पर स्थित करुणा सागर/हिरण्यावती घाट के सौन्दर्यीकरण एवं पार्क का निर्माण कार्य।	470 मी०	104.36	7,22,000.00	10,500.00	छः माह

नोट:- कार्य से संबंधित विस्तृत विवरण तथा नियम एवं शर्तें कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ksadakushinagar.in/](http://www.ksadakushinagar.in/) तथा <https://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन संबंधी समस्त सूचना उक्त वेबसाइटों पर ही उपलब्ध होगी।

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा/बिड से संबंधित विस्तृत विवरण/सूचना कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.ksadakushinagar.in/](http://www.ksadakushinagar.in/) व <https://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध है।
2. निविदादाता को यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ में ई-टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कॉरपोरेशन के माध्यम से ई-टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
3. निविदादाता द्वारा संबंधित प्रपत्र, प्रमाण-पत्र व अभिलेख सहित कालम-5 व 6 में अंकित धनराशि से संबंधित एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० व डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ प्रपत्रों की स्कैन्ड प्रति कार्यालय में नियत तिथि को नियत समय के पूर्व उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा की फाइनेन्शियल/प्राइज बिड के साथ रू०-100/- के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू०-1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन निविदा के साथ व हार्ड कापी के माध्यम से जमा करनी होगी।
5. निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में, सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के नाम से भुगतानित, जो कि मूल रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा खोलने के पूर्व पंजीकृत डॉक द्वारा या हॉथों-हॉथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। डॉक में हुए विलम्ब के लिए विभाग की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न न होने की दशा में निविदा को Unresponsive मानते हुए, पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

6. निविदादाता को धरोहर धनराशि के रूप में (कॉलम-6 के अनुसार) प्राधिकरण कोष में एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के माध्यम से जमा करना होगा। धरोहर धनराशि पोस्ट ऑफिस/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रतिभूति के रूप में सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के पक्ष में बंधक होना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी मान्य नहीं होगी।
7. अनुबन्ध के समय निविदादाता से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
8. सामग्री/कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है, जिसके लिये निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
9. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।
10. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. निविदा कमेटी द्वारा प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले विधिवत निरीक्षण/परीक्षण किया जायेगा कि वांछित अभिलेख ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता की फाइनेन्सियल बिड नहीं खोली जायेगी।
12. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार के बीजकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0 कर एवं तत्समय अन्य प्रचलित करों की कटौती की जायेगी।
13. निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ हार्डकॉपी उपलब्ध करानी होगी:-

क. वैध पंजीयन की प्रति

ख. आयकर चुकता प्रमाण-पत्र

ग. वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।

घ. पैन कार्ड।

ड. समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र सहित।

च. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित।

14. इस निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कसाडा, कुशीनगर के पास सुरक्षित रहेगा।
15. निविदादाता को अपनी वैद्य ई-मेल आई.डी. देना अनिवार्य होगा।
16. प्राधिकरण में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे-सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
18. कोई निविदादाता, जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
19. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
20. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु रक्षक प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
21. विशेष परिस्थिति में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन-लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात समस्त कार्यवाही सिर्फ ऑन-लाइन ही होगी।

22. अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
23. निविदा में वॉछित अभिलेख को ई-पोर्टल पर लोड करने के साथ ही हार्डकॉपी निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाला जाना अनिवार्य होगा अथवा पंजीकृत डॉक से नियत समय/तिथि के पूर्व प्राप्त कराना होगा। नियत तिथि/समय के पूर्व निविदा प्रपत्र प्राप्त न होने की दशा में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
24. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
25. कार्य के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
26. फर्म को नियमानुसार अनुबन्ध निस्पादित कराना होगा।
27. उक्त कार्यों में जी0एस0टी0 कटौती/देयता नियमानुसार की जायेगी।

(अभिषेक पाण्डेय)  
सचिव,  
कसाडा-कुशीनगर।

कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर-कसाडा

पत्रांक- 255 /कसाडा-2018-19,

दिनांक- 7 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, कसाडा/मण्डलायुक्त महोदय गोरखपुर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कुशीनगर को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन को जनपद की वेबसाईट पर निविदा हेडिंग में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सचिव,  
कसाडा-कुशीनगर।